शासकीय विमानों के उपयोग तथा नियंत्रण नियम 2000

मध्यप्रदेश शासन
विमानन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 01 फरवरी, 2000

क्रमांक एफ 9–15–99–पैंतालीस, राज्य शासन शासकीय विमानों के उपयोग तथा नियंत्रण के लिये निम्न नियम बनाता हैः–

1. नाम एवं उददेश्य :

यह नियम 'शासकीय विमानों के उपयोग तथा नियंत्रण नियम, 2000 कहलायेंगे. इन नियमों का उददेश्य शासकीय विमानों अर्थात् हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर के उपयोंग, नियंत्रण और कार्य संचालन की सुविधा है.

2. शासकीय विमानों का उपयोग :

(क) निम्नलिखित पदाधिकारी और अधिकारी उनके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में की जाने वाली यात्राओं के लिये विमानों का उपयोग कर सकेंगेः–

1. भारत के राष्ट्पति / उप राष्ट्पति,
2. भारत के प्रधानमंत्री,
3. भारत शासन के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्रीगण,
4. मध्यप्रदेश के राज्य पाल,
5. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री,
6. मध्यप्रदेश के मंत्री, राज्यमंत्री और उप मंत्रिगण; तथा
7. भारत शासन तथा मध्यप्रदेश शासन के सचिव या उनसे उच्चतर स्तर के अधिकारी तथा ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य शासन शासकीय विमानों के उपयोग हेतु प्राधिकृत करे.

(ख) उपरोक्त प्राधिकृत व्यक्ति अपने साथ, अपनी सहायता के लिये, अन्य व्यक्तियों को भी पात्रतानुसार शासकीय विमानों में ले जा सकेंगे.

(ग) विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री स्वविवेक से किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति को जनहित में शासकीय विमान में निःशुल्क यात्रा करने की अनुमति दे सकेंगे.

(घ) गंभीर बीमारी, दुर्घटना, प्राकृतिक विपदाओं के समय प्रभावित व्यक्यिों को उनको तत्काल समुचित चिकित्सा हेतु उपयुक्त स्थान में पहुँचाने के लिये भी मुख्यमंत्री अपने विवके से शासकीय विमानों के निःशुल्क उपयोग की अनुमति दे सकेंगे.

(ड.) प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, तूफान आदि के समय राहत कार्यों के संचालन के लिये अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर शासकीय विमानों के निःशुल्क उपयोग की राज्य शासन द्वारा अनुमति दी जा सकेगी.

(च) राज्य शासन के विमान अथवा हेलीकॉप्टर से उड़ान कौशल परीक्षण की अनुमति किसी भी ऐसे पायलट को नहीं दी जायेगी जो राज्य शासन का नियमित अथवा करार सेवा पर पदस्थ पायलट न हो.

(छ) किसी पायलट, जो शासकीय सेवा/करार सेवा में विमानन संचालनालय में पदस्थ है, को उड़ान कौशल परीक्षण की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकेगी कि संबंधित पायलट द्वारा वास्तविक उड़ान लागत का भुगतान उड़ान के पूर्व किया जायेगा.

(ज) सामान्य रूप से राज्य शासन का विमान/हेलीकॉप्टर किराये से नहीं दिया जायेगा. आपवादिक परिस्थितियों में राज्य के मुख्य मंत्रीजी किराये पर हेलीकॉप्टर/विमान देने के लिये सक्षम होंगे.

(झ) (1) कंडिका 'क' में वर्णित पदाधिकारी/अधिकारी द्वारा विमान/हेलीकॉप्टर का प्रयोग शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में ही किया जायेगा.

(2) यदि विमान/हेलीकॉप्टर का उपयोग किसी निजी उददेश्य के लिये किया गया है तो वास्तविक उड़ान लागत के समतुल्य राशि किराये के रूप में शासन को देय होगी. किराये की राशि उपयोग के पूर्व जमा करानी होगी.

3. शासकीय विमान के अधिग्रहण हेतु आवेदन :

(क) शासकीय विमानों की सभी उड़ाने मुख्यमंत्रीजी अथवा विमानन विभाग की पूर्व अनुमति से ही की जायेंगी.

(ख) यदि राज्य शासन की लिखित अथवा सक्षम प्राधिकारी की मौखिक स्वीकृति के बिना शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर की उड़ान की जाती है तो उसके उड़ान लागत जो राज्य शासन तय करेगा, की वसूली पायलट इन कमाण्ड से की जायेगी.

(ग) नियम 2 (क) में वर्णित पदाधिकारी अपने निज सहायक एवं अधिकारी स्वयं शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर के उपयोग के बारे में प्रपत्र–क में मांग–पत्र सचिव, विमानन को प्रस्तुत करेंगे. विमानन विभाग द्वारा ऐसा मांग पत्र प्राप्त होने पर संचालक/चीफ पायलट को प्रपत्र–ख में उड़ान की अनुमति जारी की जावेगी. मांग–पत्र अपूर्ण होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी.

(घ) विभाग द्वारा उड़ान की यथासंभव लिखित अनुमति जारी की जायेगी.

(ङ.) सक्षम स्तर से विमान के उपयोग की लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उड़ान कार्यक्रमों की सूचना विमानन विभाग द्वारा संचालक, विमानन को कंडिका 'ग' अनुसार दी जायेगी. संचालक विमानन इन सूचनाओं के अनुसार ही उड़ानों की व्यवस्था करेंगे.

(च) संचालक विमानन और पायलट इन कमाण्ड यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि शासकीय विमान की सभी उड़ानों शासन क्षरा अधिकृत हों और उनमें अधिकृत बैठक क्षमता के अंदर ही यात्री हों तथा उड़ानों के संबंध में संगत कानून, नियम और निर्देशों का पूरी तरत पालन हो.

(छ) विमान/हेलीकॉप्टर की पोजीशनिंग हेतु फ्लाइट, विभाग की पूर्वानुमति से होगी. इसकी अनुमति प्रपत्र 'ख' में जारी की जायेगी.

4. विमानों और अभिलेखों का संधारण :

(1) शासकीय विमानों के सही रख–रखाव और उन्हें सदैव उडान योग्य बनाये रखने का उत्तरदायित्व विमानन संचालक का होगा.

(2) संचालक विमानन, राज्य शासन, महानिदेशक नागर विमानन अथवा अन्य सक्षम अधिकारियों और प्राधिकारियों और प्राधिकराणों द्वारा निर्धारित अभिलेख तथा लेखा व अन्य पंजियॉ रखने के लिये उत्तरदायी होंगे ।

5. प्रभावशीलता, संशोधन तथा निरसर :

ये नियम 1 फरवरी, 2000 से लागू होंगे. इन नियमों के प्रभावशील होने की दिनांक से विमानों के उपयोग तथा नियंत्रण नियम, 1989 निरस्त हो जायेंगे.

(आर.एन.बैरवा)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
विमानन विभाग.

(शासकीय विमानों के उपयोग तथा नियंत्रण संबंधी नियमों के नियम 3 (ग) शासकीय विमान के अधिग्रहण हेतु आवेदन)

प्रपत्र ''क''

(मांगकर्ता अधिकारी/विभाग का मोनो)

क्रमांक भोपाल, दिनांक

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
विमान विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.

विषयः– शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये जाने बाबत्.

कृपया निम्न कार्यक्रम अनुसार शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

यात्रा करने वाले महानुभाव का नाम/पद	यात्रा का दिनांक/समय	यात्रा का स्थान	यात्रा का उददेश्य
1	2	3	4

(नाम)
पदनाम सहित

(शासकीय विमानों के उपयोग तथा नियंत्रण संबंधी नियमों के नियम 3 (छ)शासकीय विमान उड़ान हेतु उपलब्ध कराये जाने की अनुमति)

प्रपत्र ''ख''

मध्यप्रदेश शासन

विमानन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक / /पैंतालीस भोपाल, दिनांक

प्रति,

संचालक/चीफ पायलट,
विमानन संचालनालय
मध्यप्रदेश,भोपाल.

विषयः– शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में.

आदेशानुसार निर्देश हैं कि निम्न कार्यक्रम अनुसार शासकीय विमान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जायेः–

यात्रा का नाम/पद	दिनांक/समय	यात्रा का स्थान	यात्रा का उददेश्य
1	2	3	4

(नाम)

पदनाम सहित